पत्रांक– e.gov./CFMS-04/2018- 4640

बिहार सरकार,
वित्त विभाग।

प्रेषक,

कामेश्वर ओझा,
संयुक्त आयुक्त (लेखा)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 30-05-19

विषय :– CFMS के अंतर्गत कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम से बैंक में एक खाता संधारित करने के संबंध में।

महाशय,

CFMS के अंतर्गत अधिकांश भुगतान RBI - e Kuber के माध्यम से सीधे Payee के बैंक खाते में भुगतान किया जाना है। RBI के माध्यम से नगद भुगतान तथा चेक/ड्राफ्ट निर्गत करने की व्यवस्था नहीं है। सरकारी कार्यालयों को कई मामलों में छोटे–छोटे भुगतान करने होते है, जिसे e-Payment के माध्यम से करना संभव नहीं है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कभी–कभी आकस्मिक व्यय हेतु अग्रिम राशि की निकासी भी की जाती है। इस प्रकार की राशि का व्यय कार्यालय प्रधान के नाम से संधारित बैंक खाता के माध्यम से ही किया जा सकता है।

CFMS का System Requirement Specification तैयार करते समय यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कार्यालय के लिए एक बैंक खाता खोलने की सुविधा दी जाय ताकि वैसे मामले जिसमें RBI e-Kuber के माध्यम से भुगतान करना संभव नहीं हो, का भुगतान सुनिश्चित कराया जा सकें। इसलिए डीडीओ/कार्यालय मास्टर में एक बैंक खाता को संधारित करने की व्यवस्था की गयी है।

उपर्युक्त खाता में सरकारी राशि संचित नहीं की जायेगी। व्यय/भुगतान अति अनिवार्य होने तथा e-Kuber के माध्यम से भुगतान करना संभव नहीं होने की स्थिति में भी कोषागार से

सचिव, कृषि कोषांग
E-Mail
30 MAY 2019
2065

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव कार्यालय
पत्र डायरी संख्या 3355
दिनांक 31/5/19

राशि की निकासी कर कार्यालय प्रधान के पदनाम से संधारित बैंक खाते में अंतरित की जायेगी। उक्त बैंक खाता का नियमित अनुश्रवण विभागाध्यक्ष/प्रशासी विभाग द्वारा किया जायेगा ताकि अनावश्यक रूप से राशि बैंक खाता में संचित नहीं रहें।

उपर्युक्त कार्य को सुगम बनाने हेतु Bank CBS - CFMS को Integrate किया जायेगा तथा विभागाध्यक्ष प्रशासी विभाग ऑनलाईन उक्त खाते का संव्यवहार एवं अतिशेष देख सकें। सभी बैंकों से CFMS का Integration करना संभव नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपने CBS का Integration CFMS से करने हेतु सहमति दी गयी है, इसलिए उक्त खाता अभी केवल भारतीय स्टेट बैंक में ही खोला जायेगा। भविष्य में अन्य बैंक यदि ऑनलाईन खाता अनुश्रवण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु CFMS से Integration हेतु तैयार होंगे तो वित्त विभाग द्वारा उन्हें भी इसमें शामिल किया जायेगा।

कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम से संधारित इस एक खाते जिसकी प्रविष्टि CFMS Master में की गयी है, के सिवाय किसी अन्य खाते में कोषागार से राशि अंतरित नहीं की जायेगी। कार्यालय प्रधान/डीडीओ तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा इस प्रावधान का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बैंक खाता अवशेष का रोकड़ पंजी से नियमित मिलान किया जायेगा तथा अंतशेष को प्रमाणित किया जायेगा। इस आशय का एक प्रमाणपत्र कार्यालय प्रधान/डीडीओ द्वारा प्रतिमाह वेतन विपत्र के साथ ऑनलाईन संलग्न किया जायेगा।

वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 2158, दिनांक 01.03. 2019 के आलोक में बिहार कोषागार संहिता, 2011 के संबंधित नियम को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

विश्वासभाजन,

30.5.2019

(कामेश्वर ओझा)
संयुक्त आयुक्त (लेखा)।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांक–3/कृ०–बजट–विविध–23/2016 (खण्ड–क) 2048/कृ०, पटना, दिनांकः –25/6/ 2019

Fax/Mail

प्रतिलिपि :–कृषि निदेशक, बिहार पटना/ निदेशक, उद्यान/भूमि संरक्षण/ पी०पी०एम०/अपर निदेशक (शष्य), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), कर्मशाला, पटना/निदेशक, बीज प्रमाणन एजेंसी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम/संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), पोस्ट हार्वेस्ट, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (पौ०सं०), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन), गुण नियंत्रण/ मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ नियंत्रक, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/उप निदेशक (कम्पोस्ट), बिहार, पटना/सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/सभी उप निदेशक (शष्य), प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य) टाल दियारा चौड़ विकास, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक– सह– संयुक्त नियंत्रक, माप–तौल, पटना/ मुजफ्फरपुर /भागलपुर/उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण), कृषि अभियंत्रण कर्मशाला, पटना/सभी सहायक निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/सभी सहायक निदेशक (शष्य), बीज विश्लेषण प्रयोगशाला/सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/सभी सहायक कृषि निदेशक–सह–उप नियंत्रक, माप तौल/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांकः–e.gov/CFMS –04/2018–4640 दिनाकः–30.05.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

(प्रभु राम) 24/6/19

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2048 /कृ०, पटना, दिनांकः – 25/6/ 2019

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई–टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

24/6/19

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।